

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौ

फर्द अहकाम

दिनांक	
14/10/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादीगण की ओर से कालतनाम पेश करने को समझाया जो दिनांक 17/10/25 को पेश हो।</p>
17/10/25	<p>पत्रावली पेश हुई। पीछली अधिकारी अदालत का वकील के कारण पत्रावली गानादेश मुसल दि० 28/10/25 को पेश हो।</p>
28/10/25	<p>पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाने पर भी वादीगण एवं उनके अधिवक्ता उप. नहीं हुए। अतः मु. नं. 2/1995 उजवान परामारी बनाम रामखिलाडी दावा वीरत इस्तकरारठक डुरुस्ती इन्हाज एवं तमास्मा एवं हुकम इम्तनाई दवामी अरम पैखी अरम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजदारी नं. 28/10/25 को पेश हो। बाद तकनीक नं. से कम की जाकर राखिल रहते हो।</p>
	<p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>